



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1046]

नई दिल्ली, मंगलवार, मई 13, 2014/वैशाख 23, 1936

No. 1046]

NEW DELHI, TUESDAY, MAY 13, 2014/VAISAKHA 23, 1936

शहरी विकास मंत्रालय

MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT

अधिसूचना

NOTIFICATION

नई दिल्ली, 13 मई, 2014

New Delhi, the 13th May, 2014

**का.आ. 1262(अ).**—मेट्रो रेल (कार्यों का सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 (1978 का 33) की धारा 1 की उप-धारा (3) और मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 (2002 का 60) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार गुजरात सरकार से परामर्श करने के बाद, एतद्वारा यह घोषित करती है कि मेट्रो रेल (कार्यों का सन्निर्माण) अधिनियम, 1978 और मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 के प्रावधानों का सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से मेट्रो रेल के निर्माण के लिए गुजरात राज्य के अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण और गांधीनगर शहरी विकास प्राधिकरण क्षेत्र तक विस्तार किया जाए।

**S.O. 1262(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 and sub-section (2) of section 1 of the Metro Railways (Operation and Maintenance), Act, 2002 (60 of 2002), the Central Government, after consultation with the Government of Gujarat, hereby declare that the provisions of the Metro Railways (Construction of Works) Act, 1978 and the Metro Railways (Operation and Maintenance) Act, 2002 shall extend to the Ahmedabad Urban Development Authority and Gandhinagar Urban Development Authority area in the State of Gujarat for construction of Metro Railways with effect from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[फा. सं. के-14011/4/2014-एमआरटीएस-II]

[F. No. K-14011/4/2014-MRTS-II]

बी. के. पति, अवर सचिव

B. K. PATI, Under Secy.